न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 34/2019(2019/00054)

अनवान : —

1. गोपीराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. डूंगरराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. चन्द्रो पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. सुमित्रा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. उपपंजीयक भादरा/छानीबड़ी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री नन्दूसिंह गोदारा वादीगण अधिवक्ता
श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक: 26/04/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 41/47 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला न0 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला न0 4 व 5 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 15 की कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरराम के नाम से 1.276 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा सहीराम की खातेदारी हुआ करती थी। सहीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी डूंगरराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी डूंगरराम ने अपने

नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी डूंगरराम के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरराम को वादी के दादा सहीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी चक 2 जेएसएल सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 147/136 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जवाबदावा पेश किया जो तसदीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को वकील वादीगण द्वारा तर्क अंकित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 2 जेएसएल सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 2 जेएसएल सम्वत 2068–71 प्रदर्श 2, खतौनी जमाबन्दी चक 2 जेएसएल सम्वत 2052 प्रदर्श 3, वारिस हेतु दिया गया शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 41/47 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला न0 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला न0 4 व 5 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 15 की कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरराम के नाम से 1.276 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना

साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 41/47 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला न0 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला न0 4 व 5 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 15 की कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरराम के नाम से 1.276 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। **उसमें वादी संख्या 1 गोपीराम, वादी संख्या 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी संरख्या 1 डूंगरराम, प्रतिवादी संख्या 2 राजेश, प्रतिवादी संख्या 3 चन्द्रो, प्रतिवादी संख्या 4 कृष्णा, प्रतिवादी संख्या 5 सुमित्रा को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/04/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 34/2019(2019/00054)

अनवान : –

1. गोपीराम पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजेन्द्र पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. डूंगरराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. चन्द्रो पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. कृष्णा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
5. सुमित्रा पुत्री डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. उपपंजीयक भादरा/छानीबड़ी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नन्दूराम गोदारा वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता संख्या 41/47 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला न0 24 की 0.253 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला न0 4 व 5 की 0.506 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 15 की कुल 4.301 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरराम के नाम से 1.276 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 गोपीराम, वादी संख्या 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी संरख्या 1 डूंगरराम, प्रतिवादी संख्या 2 राजेश, प्रतिवादी संख्या 3 चन्द्रो, प्रतिवादी संख्या 4 कृष्णा, प्रतिवादी संख्या 5 सुमित्रा को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 26/04/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़